भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–31/2020–21

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>11.07.2020</td><td>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 10.08.2020 को निर्धारित की जाती है।
अभिलेख 10.08.2020 को उपस्थापित करें।
11-7-20
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</td><td></td></tr>
<tr><td>10.08.2020</td><td>आदेश
अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–422, दिनांक–07.08.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–10.08.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रामाय देवगम, पिता–स्व0 रामराई देवगम, जाति–हो (अ.ज.जा.), ग्राम–जेनाबेड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि है। मौजा–जेनाबेड़ा, थाना नं0–43, खाता नं०–80, खेसरा नं०–1065, 1066, रकवा क्रमशः–3 डि0 980 वर्गकड़ी, 4 डि0 20 वर्गकड़ी, कुल रकवा–0.08 ए0 भूमि क्रेता मनोज कुमार देवगम, पिता–सुरेश देवगम, जाति–हो (अ.ज.जा.), ग्राम–जेनाबेड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।
जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक रामाय देवगम, पिता–स्व0 रामराई देवगम, जाति–हो (अ.ज.जा.), ग्राम–जेनाबेड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।
बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–चक्रधरपुर, जिला– प0 सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.72 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता रामाय देवगम, पिता–स्व0 रामराई देवगम, जाति–हो (अ.ज.जा.), ग्राम–जेनाबेड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।
आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।
10-8-20
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</td><td></td></tr>
</table>